

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2023-80

उप खण्ड अधिकारी
अज अदालत बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़
श्री गोपाल लाल पांचा
किसम मुकद्दमा 91-पत्र 128 52/2023 सन्

तारीख हुकम	हुकम का विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/5/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>मासाब का खंडा</u>..... ग्राम.....<u>136, 137, 183, 184, 193 कुल</u> की आ.न.....<u>85 वर्ष = 1.95 च</u>..... की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>2000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	

